



2026:AHC: 57621

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5337/2026

सोनू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार सरोज

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री सुनील कुमार सरोज, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से श्री रोशन कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक को थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 49 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 331(4), 317(2) के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था। दो माह से अधिक समय पश्चात्, एक गैस सिलेण्डर एवं कुछ बर्तनों की बरामदगी आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों के निशानदेही पर खुले स्थान से दिखाई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त बरामदगी प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बद्ध नहीं है, फिर भी आवेदक को मिथ्यारूप से फँसाया गया है और बरामदगी स्वयं मिथ्या है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथपत्र में छः मुकदमों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधि का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 05.05.2025 से कारागार में निरुद्ध है। जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु वे उपरोक्त तथ्यों का खण्डन करने में असमर्थ रहे।

5. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, कारागारों में बंदियों की अत्यधिक संख्या एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मुकदमों की भारी लम्बितता को भी ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** में प्रतिपादित निर्णय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, एवं वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक सोनू को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो, अथवा किसी भी प्रकार से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किये विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी भी अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. यह स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया जाता है कि उपरोक्त विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन या अतिक्रमण, प्रदत्त जमानत को निरस्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार माना जाएगा।

8. मुचलके स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत एवं निवास का प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किये गये इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी ओ एम एस) के माध्यम से रिहाई आदेश सम्बन्धित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा प्रेषित करे, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, संदर्भ-स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 सन 2021, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित आदेश के अनुपालन में किया जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

20 मार्च, 2026

एस.सी.